बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

अधिसूचना

विषय— **बिहार राज्य के ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्राप्त डी.एल.एड. कोर्स संचालित राजकीय एवं अराजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण सत्र 2022—2024 से डी.एल.एड. (फेस—टू—फेस) पाठ्यक्रम में नामांकन संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर करने के संबंध में।**

बिहार राज्य के ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्राप्त डी.एल.एड. प्रशिक्षण कोर्स संचालित करने वाले राजकीय/अराजकीय प्रशिक्षण संस्थानों/महाविद्यालयों में विगत वर्षों तक शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों के आलोक में संस्थान/महाविद्यालयवार अलग—अलग विज्ञापन निकालकर आवेदन प्राप्त कर नामांकन की अलग—अलग कार्रवाई की जाती रही है, जिससे प्रशिक्षु छात्र/छात्राओं को एक से अधिक संस्थानों में आवेदन देने के कारण समय एवं धन का अपव्यय होता था। साथ ही नामांकन प्रक्रिया में भी पूर्ण पारदर्शिता अभ्यर्थियों के बीच संसूचित नहीं हो पाती थी।

सम्यक विचारोपरांत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्तर से ERC NCTE से मान्यता प्राप्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्राप्त राजकीय एवं अराजकीय डी.एल.एड. कोर्स संचालित प्रशिक्षण महाविद्यालय/संस्थान में नामांकन की व्यवस्था हेतु विभागीय स्वीकृति प्रदान की गई। तदनुसार नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा तैयार की गई विनियमावली पर विभागीय सहमति दी गई है।

इस आलोक में सत्र 2022—2024 से उपर्युक्त कोटि के सभी प्रशिक्षण संस्थानों/महाविद्यालयों अपने स्तर से सीधे विज्ञापन निकालकर नामांकन नहीं लेंगे। इसे पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।

प्रशिक्षण सत्र 2022—2024 से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा Computer based आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का उनके मेधा एवं प्राप्त विकल्प (Merit-Cum-Choice) के आधार पर ही नियमानुसार राज्य के उपर्युक्त कोटि के सभी राजकीय एवं अराजकीय महाविद्यालयों/संस्थानों में नामांकन की कार्रवाई की जा सकेगी।

पूर्व में नामांकन प्रक्रिया हेतु निर्गत सभी संकल्प/अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

22/6/22

(अरशद फिरोज)
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

अधिसूचना

विषय– बिहार राज्य के ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्राप्त डी.एल.एड. कोर्स संचालित राजकीय एवं अराजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण सत्र 2022–2024 से डी.एल.एड. (फेस–टू–फेस) पाठ्यक्रम में नामांकन संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर करने के संबंध में।

बिहार राज्य के ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्राप्त डी.एल.एड. प्रशिक्षण कोर्स संचालित करने वाले राजकीय/अराजकीय प्रशिक्षण संस्थानों/महाविद्यालयों में विगत वर्षों तक शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों के आलोक में संस्थान/महाविद्यालयवार अलग–अलग विज्ञापन निकालकर आवेदन प्राप्त कर नामांकन की अलग–अलग कार्रवाई की जाती रही है, जिससे प्रशिक्षु छात्र/छात्राओं को एक से अधिक संस्थानों में आवेदन देने के कारण समय एवं धन का अपव्यय होता था। साथ ही नामांकन प्रक्रिया में भी पूर्ण पारदर्शिता अभ्यर्थियों के बीच संसूचित नहीं हो पाती थी।

सम्यक विचारोपरांत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्तर से ERC NCTE से मान्यता प्राप्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्राप्त राजकीय एवं अराजकीय डी.एल.एड. कोर्स संचालित प्रशिक्षण महाविद्यालय/संस्थान में नामांकन की व्यवस्था हेतु विभागीय स्वीकृति प्रदान की गई। तदनुसार नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा तैयार की गई विनियमावली पर विभागीय सहमति दी गई है।

इस आलोक में सत्र 2022–2024 से उपर्युक्त कोटि के सभी प्रशिक्षण संस्थानों/महाविद्यालयों अपने स्तर से सीधे विज्ञापन निकालकर नामांकन नहीं लेंगे। इसे पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।

प्रशिक्षण सत्र 2022–2024 से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा Computer based आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का उनके मेधा एवं प्राप्त विकल्प (Merit-Cum-Choice) के आधार पर ही नियमानुसार राज्य के उपर्युक्त कोटि के सभी राजकीय एवं अराजकीय महाविद्यालयों/संस्थानों में नामांकन की कार्रवाई की जा सकेगी।

पूर्व में नामांकन प्रक्रिया हेतु निर्गत सभी संकल्प/अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(अरशद फिरोज)
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–12/विविध–11/2016...338...... पटना, दिनांक–22/6/2022
प्रतिलिपि– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि 500 प्रतियाँ प्रकाशित कर उपलब्ध कराई जाए।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–12/विविध–11/2016...338...... पटना, दिनांक–22/06/2022
प्रतिलिपि– माननीय मंत्री शिक्षा विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–12/विविध–11/2016...338...... पटना, दिनांक–22/06/2022
प्रतिलिपि– सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, प्रखण्ड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं सभी मान्यता प्राप्त डी.एल.एड. कोर्स संचालित निजी प्रशिक्षण महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।